

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.10(12)नविवि / 3 / 2010

जयपुर, दिनांक : १७ FEB 2023

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम—1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या—35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर को नीमकाथाना (जिला सीकर) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष—2042 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है :-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)
1.	चला की ढाणी
2.	महावा
3.	भराला
4.	नीमोद
5.	खादरा
6.	मानपुरा
7.	जगतसिंहनगर
8.	बल्लभदासपुरा
9.	हीरानगर
10.	नीमकाथाना
11.	बणियाला
12.	मालनगर
13.	कुरबड़ा
14.	आगवाड़ी
15.	राजनगर
16.	चक चारावास
17.	गोडावास
18.	केरवाली
19.	मण्डोली
20.	गोरधनपुरा
21.	राणासर
22.	नयाबास
23.	सिरोही

राज्यपाल की आज्ञा से


 (संचिता बिश्नोई)
 संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर, सीकर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, (पूर्व) राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 02.2023 में प्रकाशन हेतु ऑनलाइन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नीमकाथाना (जिला सीकर)।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय